



2026:AHC:163077

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27165/2026

धीरज

....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : राम राज पांडे, शुभम पांडे प्रतिवादी(यों)
के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री एन.के. शर्मा, विद्वान राज्य के लिए ए.जी.ए. को सुना। अभिलेख का परिशीलन किया।
- यह जमानत याचिका मामला अपराध संख्या 560/2026, धारा 108 बी.एन.एस. के तहत, पुलिस स्टेशन सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना कथित तौर पर 14.6.2026 को घटी थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 16.6.2026 को दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटना है। इसके अलावा, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, गवाहों ओम कुमारी और नेहा के बयानों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार, धारा 108 बीएनएस के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व आवेदक के खिलाफ सिद्ध नहीं होते हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने, जानबूझकर सहायता करने या मृतक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले किसी प्रत्यक्ष कृत्य के अभाव में, केवल मारपीट, उत्पीड़न या अपमान के आरोप आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनाते हैं। अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए आवश्यक आपराधिक इरादे या प्रत्यक्ष कृत्य को प्रकट नहीं करता है। अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो मामलों में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया है: निपुण अनेजा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 654/2017) दिनांक 03.10.2024 को निर्णित और अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (आपराधिक अपील संख्या 2177-2185/2024) दिनांक 18.8.2025 को निर्णित। आवेदक 18.6.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- राज्य के अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया, लेकिन वे अभिलेख में मौजूद उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित रूप से दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटना है। इसके अलावा, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, गवाहों ओम कुमारी और नेहा के बयानों और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के अनुसार, धारा 108 बीएनएस के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व आवेदक के विरुद्ध सिद्ध नहीं होते हैं। आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रत्यक्ष या निकटवर्ती कृत्य नहीं किया गया है जिसे आत्महत्या के लिए उकसाने, षड्यंत्र रचने या जानबूझकर सहायता करने के रूप में माना जा सके। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक वर्तमान में एक महीने से अधिक समय से हिरासत में है और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह सामने नहीं लाया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाह को डराएगा। मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
6. उपरोक्त मामले में आरोपी **धीरज** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:
- आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
 - आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा;
 - आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

5 अगस्त, 2026

एसएस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।